



**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.**

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011  
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



क्रमांक /नि.वि.1/स.4/सं.ले.श्रे.प/△-२१८

दिनांक ०३.३.२०२३

निम्नलिखित परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापालों को संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा मार्च 2023 में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। उनका अनुक्रमांक उनके नाम के सम्मुख दर्शाया गया है तथा परीक्षा केन्द्र मनोरंजन संस्था कक्ष (भूतल) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम, म.प्र. 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल है।

| क्रमांक | परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल का नाम | अनुक्रमांक |
|---------|-------------------------------------|------------|
| 1       | श्री अमन कुमार जैन                  | 1          |
| 2       | श्री पंकज साहू                      | 2          |
| 3       | श्री मनीष कुमार मीना                | 3          |
| 4       | श्री शांकुल                         | 4          |
| 5       | श्री अब्दु किशोर मंडल               | 5          |
| 6       | श्री राघवेन्द्र सिंह                | 6          |
| 7       | कु अंजलि.                           | 7          |
| 8       | श्री प्रधान नागर                    | 8          |
| 9       | श्री दीपक बालान                     | 9          |
| 10      | श्री राकेश कुमार                    | 10         |
| 11      | श्री प्रशांत सिंह कुशवाह            | 11         |
| 12      | श्री रणजीत सिंह                     | 12         |

*Amarnath Singh*  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

//विशेष सूचना//

- परीक्षा दिनांक 20.03.2023 से 24.03.2023 तक सम्पन्न होने जा रही है। परीक्षा आरंभ होने का समय सुबह 10.30 से है।
- परीक्षा भवन परीक्षा आधा घन्टा पूर्व खुलेगा।

3. परीक्षार्थी परीक्षा भवन में कोई भी ऐसी सामग्री अपने साथ न रखे जिसका परीक्षा में कोई अनुचित लाभ उठाया जा सके। अनुचित सामग्री पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. उत्तर पुस्तिका लौटाने के पश्चात परीक्षार्थी को पुनः परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा।
5. परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्रों का उत्तर उन्ही माध्यम से लिखना होगा जिन माध्यमों को वह अपने आवेदन-पत्र में दर्शा चुका है। परीक्षा हाल में परीक्षा के माध्यम को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान मूल, गणितीय कार्या जैसे जोड़, गुणा भाग आदि को करने के लिए साधारण संगणक (केलकुलेटर) का उपयोग कर सकते हैं। संगणक की व्यवस्था परीक्षार्थी को स्वयं करनी होगी एवं उसके सही होने की जवाबदारी भी परीक्षार्थी की ही होगी।
7. परीक्षार्थी, सलग्र प्रवेश पत्र प्रारूप में, नाम, संभाग का नाम तथा अनुक्रमांक दर्ज कर स्वयं के हस्ताक्षर कार्यपालन यंत्री से प्रमाणित कराएंगे।



## कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011

दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिधि  
Dedicated to Truth in Public Interest

//प्रवेश पत्र//

श्री/कु.....परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल, कार्यालय कार्यपालन यंत्री ..... को संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा मार्च 2023 में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। इनका अनुक्रमांक.....है तथा परीक्षा केन्द्र मनोरंजन संस्था कक्ष (भूतल) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम, म.प्र. 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल है।

.....  
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

.....  
कार्यपालन यंत्री

//विशेष सूचना//

1. परीक्षा दिनांक 20.03.2023 से 24.03.2023 तक सम्पन्न होने जा रही है। परीक्षा आरंभ होने का समय सुबह 10.30 से है।

2. परीक्षा भवन परीक्षा आधा घन्टा पूर्व खुलेगा।

3. परीक्षार्थी परीक्षा भवन में कोई भी ऐसी सामग्री अपने साथ न रखें जिसका परीक्षा में कोई अनुचित लाभ उठाया जा सके। अनुचित सामग्री पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. उत्तर पुस्तिका लौटाने के पश्चात परीक्षार्थी को पुनः परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा।

5. परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्रों का उत्तर उन्ही माध्यम से लिखना होगा जिन माध्यमों को वह अपने आवेदन-पत्र में दर्शा चुका है। परीक्षा हाल में परीक्षा के माध्यम को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान मूल, गणितीय कार्या जैसे जोड़, गुणा भाग आदि को करने के लिए साधारण संगणक (केलकुलेटर) का उपयोग कर सकते हैं। संगणक की व्यवस्था परीक्षार्थी को स्वयं करनी होगी एवं उसके सही होने की जवाबदारी भी परीक्षार्थी की ही होगी।